

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06102023-249213
SG-DL-E-06102023-249213असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296]	दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 4, 2023/आश्विन 12, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 238
No. 296]	DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 4, 2023/ASVINA 12, 1945	[N. C. T. D. No. 238

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

उद्योग विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 4 अक्तूबर, 2023

फा. सं. 7/ईएम(बीएन)/सीआई/12-13/पार्ट फा0-1/892-902.—जबकि बपरोला औद्योगिक पार्क को शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 3761 (ई) दिनांक 20 दिसंबर, 2013 के द्वारा औद्योगिक उपयोग क्षेत्र घोषित किया गया था।

इसलिए, अब दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन और रखरखाव अधिनियम, 2010 की धारा 2 की उपधारा (के) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा बापरोला औद्योगिक क्षेत्र 22.34 हेक्टेयर क्षेत्र को दिल्ली मास्टर प्लान की उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार तथा दिल्ली औद्योगिक विकास संचालन और रखरखाव (डीआईडीओएम) अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किये जाने की घोषणा करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी के दिल्ली उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
मनीष कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)

INDUSTRIES DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 4th October, 2023

F . No. 7/EM(BN)/CI/12-13/Pt-1/ 892-902.—Whereas Baprola Industrial Park was declared as Industrial Use Zone vide Notification No.3761 (E) dated 20th December, 2013, under Master Plan of Delhi-2021 issued by Ministry of Urban Development, Govt. of India.

Therefore, now in exercise of powers conferred under sub section (k) of Section 2 of the Delhi Industrial Development Operation and Maintenance Act, 2010, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby declares an area of 22.34 Hectare of the Baprola Industrial area to be developed as Industrial Park as per above notification of Master Plan of Delhi and under provisions of the Delhi Industrial Development Operation & Maintenance (DIDOM) Act, 2010.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
MANISH KUMAR GUPTA, Addl. Chief Secy. (Industries)